**श्री संतोष उराँव, सभापति, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति की अध्यक्षता में दिनांक–23.06.2023 (शुक्रवार) को समिति कार्यालय रांची में सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की 62वीं विशेष आकस्मिक बैठक की कार्यवाही :–**

1. **उपस्थिति :–** बैठक में निम्नांकित सदस्य उपस्थित हुए :–

| क्र० | नाम | कार्यकारिणी समिति में धारित पद | उपस्थिति |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री संतोष उराँव, पूर्ववर्ती छात्र, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट। | सभापति | उपस्थित |
| 2. | श्री सुनील कुमार, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची। | सदस्य | उपस्थित |
| 3. | श्री राजकिशोर खाखा, वित्त विभाग के प्रतिनिधि (वित्त सचिव द्वारा मनोनीत) सदस्य, वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची। | सदस्य | उपस्थित |
| 4. | डॉ. कामिनी कुमार, (राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविद्), प्रति कुलपति, कोलहान विश्वविद्यालय, चाईबासा। | सदस्य | उपस्थित |
| 5. | डॉ. उपेन्द्र प्रसाद, सेवा–निवृत्त, सह–शिक्षक, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट। | सदस्य | उपस्थित |
| 6. | श्री प्रदीप कुमार, पूर्ववर्ती छात्र, नेतरहाट विद्यालय, नेतरहाट। | सदस्य | अनुपस्थित |
| 7. | डॉ. प्रसाद पासवान, प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट। | सदस्य–सचिव | उपस्थित |
| 8. | श्री सच्चिदानन्द डी. तिग्गा, उप–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची। | (विशेष आमंत्रित) | उपस्थित |



Santosh

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9. | श्री अभिषेक मिश्रा, शिक्षक, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट। | (शिक्षक प्रतिनिधि) | उपस्थित |

**02. कार्यसूची की मद संख्या–01** : दिनांक–21.01.2023 को सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति, ने.वि.स. की 61वीं बैठक की कार्यसूची की मद सं.–07 को छोड़ कर शेष कार्यवाही की संपुष्टि की गई।

**03. कार्यसूची की मद संख्या –02** : दिनांक–13.12.2022 को सम्पन्न हुई 60वीं बैठक की कार्यसूची की मद संख्या–14 की ***"कार्यपालक अभियंता के कार्यालय पत्रांक–27, दिनांक–09.01.2021, कार्यालय पत्रांक–172 दिनांक–26.02.2022 एवं कार्यालय पत्रांक–581 दिनांक–09.07.2022 के माध्यम से निम्नांकित योजनाओं को तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई थी"*** जिसका क्रम संख्या–05 निम्नवत है –

| | | |
|---|---|---|
| 05. | Fencing Jali in Administration Residence at Netarhat Residential School, Netarhat under Latehar dist. | Rs. 8,67,350.00 |

विषयगत भूमि फॉरेस्ट एरिया में होने एवं अन्य विपरीत सूचनाओं के प्रकाश में आने के कारण पूर्ण जाँच होने तक उक्त योजना को सम्प्रति स्थगित रखने का निर्णय लिया गया।

**04. कार्यसूची की मद संख्या–03** : दिनांक 21.01.2023 को सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति, ने.वि.स. की 61वीं बैठक में लिये गये निर्णयों के संदर्भ में प्राचार्य–सह–सदस्य सचिव, ने.वि.स. द्वारा कृत अनुपालन प्रतिवेदन को प्रस्तुत किया गया।. तदनुसार समर्पित अनुपालन प्रतिवेदन को सर्वसम्मति के साथ सम्पुष्टि प्रदान की गयी।

**05. कार्यसूची की मद संख्या–04** : नेतरहाट विद्यालय समिति द्वारा प्राचार्य पद का विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। प्रकाशित विज्ञापन सं0–08/ने.वि.स. /2023 दिनांक 03.04.2023 द्वारा प्राचार्य पद के लिये आवेदन भरने की अंतिम तिथि दिनांक 04.05.2023 निर्धारित थी। नेतरहाट आवासीय विद्यालय के तत्कालीन प्राचार्य डॉ0 संतोष कुमार सिंह की संविदा अवधि दिनांक 19.06.

Santosh

2023 को समाप्त होने के तथ्य के आलोक में उक्त पद के लिए पत्रांक 11/ने.वि.स./2023 दिनांक 10.04.2023 के माध्यम से उपरोक्त प्रकाशित विज्ञप्ति की घटनोत्तर स्वीकृति दिनांक 17.04.2023 की कार्यकारिणी समिति के कार्यवाही बिन्दु की कंडिका 5 के अनुसार अपेक्षित थी। किन्तु यह बैठक सम्पन्न नहीं हो सकी थी। उक्त प्रस्ताव की घटनोत्तर स्वीकृति कार्यकारिणी समिति के एकमात्र सदस्य डॉ0 कामिनी कुमार को छोड़ कर शेष उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा दी गयी।

**06. कार्यसूची की मद संख्या–05 :** सभापति द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची के कार्यालय पत्रांक–13/ने 11–06/2020–1666, राँची दिनांक 16.06.2023 के अनुक्रम में सभापति, कार्यकारिणी समिति, ने.वि.स. के कार्यालय आदेश सं0 48/ने.वि.स./2023 दिनांक 18.06.2023 के अनुपालन में विद्यालय के वरीयतम सह–शिक्षक डॉ0 प्रसाद पासवान द्वारा दिनांक 19.06.2023 के अपराह्न में प्राचार्य पद का प्रभार ग्रहण किया गया। विमर्शोपरान्त डॉ0 प्रसाद पासवान के प्राचार्य पद पर योगदान की सम्पुष्टि प्रदान की गयी।

**07. कार्यसूची की मद संख्या–06 :** शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन सं0 01/2021 के संदर्भ में गठित स्क्रूटनी समिति द्वारा स्क्रीनिंग रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। तदनुसार स्क्रूटनी के दौरान स्क्रीनिंग कमिटि द्वारा कुछेक बिन्दुओं पर परामर्श की अपेक्षा की गयी थी। समीक्षोपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्तावित बिन्दुओं पर निम्नानुसार अग्रतर कार्रवाई हेतु निदेश प्रदान किया गया–

(क) जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन में प्रतिशत अंक CGPA के रूप में दिया गया है, उसके संबंध में प्राचार्य–सह–सदस्य सचिव, ने.वि.स. को निदेश दिया गया कि इस निमित्त एक आम सूचना समाचार पत्रों एवं विद्यालय के वेबसाइट के माध्यम से निर्गत करा दी जाय कि जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन प्रपत्र में प्राप्तांक CGPA मे अंकित किया है वे 15 दिनों के अंदर अपने संबंधित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्थान के माध्यम से CGPA अंकों के समतुल्य प्रतिशत अंक से संबंधित प्रमाण पत्र अपने संस्थान से सत्यापित करा कर



Santosh

विद्यालय के ई–मेल पर प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

(ख) जिन विषयों में बी0एड0 नहीं होता है उनमें बी0एड0 उत्तीर्णता की अनिवार्यता से विमुक्त रखने की स्वीकृति दी गयी।

उपरोक्त के अलावा चूँकि समिति की नियुक्ति, सेवा–शर्त तथा अनुशासन नियमावली के अनुसार चयन समिति का मापदण्ड कार्यकारिणी समिति, ने.वि.स. के द्वारा तय किया जाना हैं, अतएव सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि शिक्षकों के वेतनमान को ध्यान में रखते हुए झारखण्ड लोक–सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या–04/2018 के Appendix A (Schedule - I, II, III एवं IV) के अनुसार 60 अंको का मेरीट लिस्ट बनाने का निर्णय लिया गया। साथ ही 15 अंकों का Class Transaction एवं 20 अंको की अन्तर्वीक्षा आयोजित की जाएगी। शेष 05 अंक B.Ed के लिए निम्नानुसार निर्धारित किये जायेंगे।

75% अंक से अधिक – 05 अंक

60% से 75% तक – 04 अंक

45% से 60% तक – 03 अंक

Not B.Ed – 0 अंक

सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि चूँकि 60 अंकों का मेरीट लिस्ट तैयार कर लिया जाना है, अतएव इसको तैयार करने के लिए निम्नानुसार एक तीन सदस्यीय कमिटि बनाये जाने का निर्णय लिया गया –

(i) श्री अभिषेक मिश्रा, शिक्षक – अध्यक्ष

(ii) श्री विनोद टोप्पो, शिक्षक – सदस्य

(iii) डॉ. राजेश चन्द्र गुप्ता, शिक्षक – सदस्य

Santosh

प्राचार्य सह–सदस्य सचिव को यह भी निर्देश हुआ कि स्क्रीनिंग समिति द्वारा निर्धारित किए गये योग्य एवं अयोग्य अभ्यर्थियों की सूची विद्यालय के Website में प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे।

**08. कार्यसूची की मद संख्या–07** : नेतरहाट विद्यालय समिति नियमावली–323, दिनांक–23.10.2009 के नियम–2.7 के नियमानुसार स्थानीय प्रबंधन समिति, ने.वि.स. का पुर्नगठन निम्नानुसार किया गया :–

(i) प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय – अध्यक्ष

(ii) श्री रवि रंजन, वरीयतम शिक्षक, ने.आ.वि. – सदस्य

(iii) श्रीमती राधा कुमारी, शिक्षक, ने.आ.वि. – सदस्य

(vi) श्री रौशन कुमार, प्रशासी पदाधिकारी, ने.आ.वि. – सदस्य

**09. कार्यसूची की मद संख्या–08** : नये वाहनों के क्रय के विचार–विमर्श के क्रम में यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान दोनो स्कॉर्पियो के जीर्ण–शीर्ण अवस्था को ध्यान में रखते हुए इसके अपलेखन हेतु तत्संबंधी पत्र MVI को प्रेषित करते हुए नये वाहन के क्रय की प्रक्रिया प्रारंभ किया जाय। इसके लिए प्राचार्य सह–सदस्य सचिव को प्राधिकृत किया गया है।

**10. अन्यान्य :**

**(i)** बैठक के दौरान कार्यकारिणी समिति की सदस्य डॉ. कामिनी कुमार ने सभापति को सम्बोधित करते हुए अपना लिखित Note of Dissent समर्पित किया, समर्पित Note of Dissent को सभापति एवं अन्य सदस्यों द्वारा अस्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

**(ii)** विद्यालय की ओर से विधिक संबंधी कार्यो के लिए श्री राजेश लाला, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय झारखण्ड, श्री प्रभात कुमार सिन्हा, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय झारखण्ड एवं श्री भानु कुमार, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय झारखण्ड के स्थान पर श्री मुकेश कुमार, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय झारखण्ड, श्री राहुल कुमार, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय झारखण्ड एवं अर्पूवा सिंह, अधिवक्ता, उच्च



Santosh

न्यायालय झारखण्ड को अनुबंधित किये जाने का निर्णय लिया गया। न्यायालय संबंधित वाद को अब उपरोक्त अधिवक्ताओं के द्वारा संपादित किये जायेंगे। एतदर्थ विषयक अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्राचार्य सह–सदस्य सचिव को प्राधिकृत किया गया।

**(iii)** श्री अमित कुमार, प्रयोगशाला भंडारी को कोषपाल पद का प्रभार दिनांक 01.07.2023 के प्रभाव से दिया गया है। विमर्शोपरान्त सर्वसम्मति से कोषपाल पद पर श्री कुमार के योगदान की सम्पुष्टि प्रदान की गयी।

अंत में सभापति के धन्यवाद ज्ञापन के साथ विद्यालय में लंबित अनेक मुद्दों के निराकरण के लिए निकट भविष्य में शीघ्र ही कार्यकारिणी समिति की बैठक आहूत करने के निर्णय के साथ बैठक का समापन हुआ।

Santosh 01/7/2023

(संतोष उराँव)<br>
सभापति<br>
कार्यकारिणी समिति<br>
नेतरहाट विद्यालय समिति।

ज्ञापांक– 49/ने.वि.स./2023 रांची, दिनांक–01.07.2023

प्रतिलिपि– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, सदस्य, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति, झारखण्ड सरकार/ वित्त विभाग (वित्त विभाग द्वारा मनोनीत सदस्य), सदस्य, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति, झारखण्ड सरकार/ डॉ. कामिनी कुमार, (शिक्षाविद्), प्रति कुलपति, कोलहान विश्वविद्यालय, चाईबासा, सदस्य, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति, 52, सर्कुलर रोड, लालपुर, रांची/ डॉ. उपेन्द्र प्रसाद, सह–शिक्षक, (सेवा–निवृत्त), नेतरहाट विद्यालय, सदस्य, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति/ श्री प्रदीप कुमार, सदस्य, कार्यकारिणी समिति, ने.वि. स./ श्री अभिषेक मिश्रा, शिक्षक, नेतरहाट विद्यालय (शिक्षक प्रतिनिधि)/ प्राचार्य–सह सदस्य सचिव, नेतरहाट विद्यालय समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Santosh 01/7/2023

सभापति<br>
कार्यकारिणी समिति<br>
नेतरहाट विद्यालय समिति।

# नेतरहाट विद्यालय समिति

(स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग)

**नेतरहाट विद्यालय समिति, कार्यकारिणी समिति की, दिनांक–23.06.2023 (शुक्रवार) को आहूत 62वीं विशेष आकस्मिक बैठक की उपस्थिति :–**

उपस्थिति :–

| क्र० | नाम | कार्यकारिणी समिति में धारित पद | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री संतोष उराँव, पूर्ववर्त्ती छात्र, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट। | सभापति | Santosh 23/6/2023 |
| 2. | निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा), स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची। | सदस्य | 23/6/2023 |
| 3. | वित्त विभाग, के प्रतिनिधि (वित्त सचिव द्वारा मनोनीत), वित्त विभाग, झारखण्ड, रांची। | सदस्य | राजकिशोर रवारवा उपसचिव 23/06/23 |
| 4. | डॉ. कामिनी कुमार, (राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविद्), प्रति कुलपति, कोलहान विश्वविद्यालय, चाईबासा। | सदस्य | Kamini Kumar 23.06.23 |
| 5. | डॉ. उपेन्द्र प्रसाद, सह–शिक्षक, सेवा–निवृत्त, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट। | सदस्य | 23-6-23 |
| 6. | डॉ. प्रसाद पासवान, प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट। | सदस्य–सचिव | 23/06/23 |
| 7. | श्री अभिषेक मिश्रा, शिक्षक, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट। | (विशेष आमंत्रित) | 23/6/23 |
| 8. | श्री सच्चिदानन्द डी. तिग्गा, उप–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची। | (विशेष आमंत्रित) | 23/6/2023 |